

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/आर-164/2023-

/स्वा०,

पटना, दिनांक

/

/2025

डा० राज कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर का दिनांक-25.08.2020 से 01.09.2022 तक अध्ययन अवधि तथा दिनांक-02.09.2022 से 31.01.2023 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नरूप में विनियमित किया जाता है:-

i	दिनांक-25.08.2020 से 01.09.2022 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
ii	दिनांक-02.09.2022 से 11.09.2022 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
iii	दिनांक-12.09.2022 से 14.09.2022 तक	देय अवकाश के रूप में।
iv	दिनांक-15.09.2022 से 31.01.2023 तक	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।

2 प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-164/2023- 882(2) पटना, दिनांक 29/5/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर/कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/डा० राज कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव